प्रारंभिक परीक्षा

प्रथम भारतीय जीन संपादित भेड़

संदर्भ

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (**SKUAST**), **श्रीनगर के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन-संपादित भेड़ तैयार की है।**

हाल ही में समाचार में -

- भारत की **पहली जीन-संपादित चावल किस्म (पूसा चावल डीएसटी1 और डीआरआर धान 100)** को जारी किया गया।
- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (**NDRI**) ने **जीन-संपादित भैंस का भ्रूण विकसित किया** है।

इसके बारे में -

- **मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले मायोस्टैटिन जीन को संपादित करने के लिए CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किया गया।**
- **परिणाम**: भेड़ों में मांसपेशियों में 30% की वृद्धि हुई।
    - टेक्सेल नस्ल के समान (एक यूरोपीय भेड़ की नस्ल जो उच्च मांसपेशी द्रव्यमान के लिए जानी जाती है)।
- **इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:**
    - पशुधन में मांस उत्पादन में सुधार लाना।
    - रोग प्रतिरोधी पशु बनाना।
    - जुड़वां बच्चों के जन्म और अन्य प्रजनन संबंधी लाभों में सहायता।

मायोस्टैटिन क्या है?

- **मायोस्टैटिन एक प्रोटीन है जो MSTN (या GDF8) जीन द्वारा निर्मित होता है।**
- यह मांसपेशियों की वृद्धि के नकारात्मक नियामक के रूप में कार्य करता है।
- मांसपेशी कोशिका वृद्धि और विभेदन को रोकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 21 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की।

न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया -

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद-222:** राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।
- **स्थानांतरण की सिफारिश कौन करता है?:** भारत के मुख्य न्यायाधीश (वर्तमान में बी.आर. गवई) की अध्यक्षता वाला सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम।
    - कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
    - सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री → प्रधानमंत्री → राष्ट्रपति को भेजी जाती है।
    - स्थानान्तरण निम्नलिखित पर आधारित हैं:
        - प्रशासनिक आवश्यकताएं
        - सार्वजनिक हित
        - न्यायपालिका की अखंडता और तटस्थता बनाए रखना
- संविधान में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है → जिससे कभी-कभी देरी या विवाद उत्पन्न हो जाता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के पिछले उदाहरण -

मामला/अवलोकन	वर्ष	मुख्य योगदान
न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्ण अय्यर	1994	स्थानान्तरण दंडात्मक नहीं होना चाहिए
द्वितीय न्यायाधीश मामला	1993	नियुक्तियों में न्यायपालिका को प्राथमिकता दी गई और कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई
तृतीय न्यायाधीश मामला	1998	**बहुलता सिद्धांत**: सीजेआई को 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा; कॉलेजियम प्रक्रिया स्पष्ट की गई
NJAC अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	**2015**	**सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया**
इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ	**2017**	**न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण में पारदर्शिता की वकालत की**

इंटरपोल(Interpol)

संदर्भ

इंटरपोल ने वीजा और क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए दो भारतीयों के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी किया**,** जो जनवरी 2024 में शुरू किए गए इस नए संपत्ति-ट्रैकिंग नोटिस का भारत में पहला उपयोग है।

इंटरपोल (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) -

- **मुख्यालय:** ल्योन, फ्रांस
- **सदस्य:** 196 देश (भारत भी सदस्य है)
- **उद्देश्य:** आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुगम बनाना।

इंटरपोल नोटिस के प्रकार	
सूचना	**उद्देश्य**
रेड नोटिस 🔴	**प्रत्यर्पण तक वांछित व्यक्ति का पता लगाना और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करना। (सबसे प्रसिद्ध)**
ब्लू नोटिस 🔵	किसी व्यक्ति का पता लगाना या उसकी पहचान करना, या जानकारी एकत्र करना।
ग्रीन नोटिस 🟢	किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देना जब वे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
येलो नोटिस 🟡	गुमशुदा व्यक्तियों, विशेषकर नाबालिगों का पता लगाना, या स्वयं की पहचान करने में असमर्थ व्यक्तियों की पहचान में सहायता करना।
ब्लैक नोटिस ⚫	अज्ञात शवों की पहचान करना।
ऑरेंज नोटिस 🟠	किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देना जो गंभीर और आसन्न खतरा दर्शाती हो।
पर्पल नोटिस 🟣	अपराधियों द्वारा प्रयुक्त कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों या छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
सिल्वर नोटिस ⚪	• **विश्व स्तर पर वांछित अपराधियों की संपत्तियों पर नज़र रखना। (पायलट चरण में जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया)।** • **भारत से पहला सिल्वर नोटिस:** शौकीन शुभम (वीज़ा धोखाधड़ी) के खिलाफ जारी किया गया, उसके बाद अमित लखनपाल (क्रिप्टो धोखाधड़ी) के खिलाफ जारी किया गया।
इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र विशेष सूचना 🏳	संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के अधीन व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए।

डुगोंग(Dugongs)

संदर्भ

विश्व डुगोंग दिवस (28 मई) को तमिलनाडु के पाक खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व सहित संरक्षण प्रयासों पर प्रकाश डालकर मनाया।

डुगोंग के बारे में -

- **वैज्ञानिक नाम:** डुगोंग डुगोन
- **निवास स्थान:** गर्म उथले पानी - भारत के तट जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी और कच्छ की खाड़ी।
- **आहार:** शाकाहारी; विशेष रूप से समुद्री घास खाता है।
- **जीवनकाल:** 70 वर्ष तक।
- **प्रजनन:** अत्यंत धीमा - मादाएं लंबी गर्भावस्था और स्तनपान अवधि के साथ हर 3-7 साल में एक बार प्रजनन करती हैं।
- **भारत में जनसंख्या:** अत्यंत कम; जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 5% प्रति वर्ष है। वर्तमान में, भारत में लगभग 240 डुगोंग हैं और उनमें से अधिकांश तमिलनाडु तट (पाक खाड़ी क्षेत्र) में पाए जाते हैं।

समुद्री घास का महत्व -

- समुद्री घास जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं और कार्बन पृथक्करण, मत्स्य पालन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- डुगोंग प्रमुख प्रजाति हैं - "समुद्र के माली" - जो स्वस्थ समुद्री घास की क्यारियों को बनाए रखकर समुद्री जैव विविधता को आकार देते हैं।

भारत में संरक्षण प्रयास -

- **डुगोंग को आईयूसीएन रेड लिस्ट में 'असुरक्षित' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है** और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित किया गया है।
- **भारत ने 2008 में प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 2021 में डुगोंग संरक्षण रिजर्व (तमिलनाडु के पाक खाड़ी में 500 वर्ग किमी) का शुभारंभ किया।**

समाचार संक्षेप में

किलाउआ ज्वालामुखी

समाचार? किलाउआ ज्वालामुखी हाल ही में फटा।

इसके बारे में -

- हवाई के छह सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है तथा 1983 से इसमें बार-बार विस्फोट हो रहा है।

हवाई के अन्य प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी -

- **मौना लोआ**: आयतन और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी; अभी भी सक्रिय ।
- **मौना केआ**: निष्क्रिय लेकिन सक्रिय के रूप में वर्गीकृत; अंतिम बार लगभग 4,600 वर्ष पहले विस्फोट हुआ था।

स्रोत: Indian Express

संपादकीय सारांश

बढ़ता अतिपोषण(Rising overnutrition)

संदर्भ

भारत विशेष रूप से शहरी कार्यबल के बीच बढ़ते शहरी स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है।

भारत में हालिया शहरी स्वास्थ्य संकट -

- **गैर-संचारी रोगों (NCD) में वृद्धि:** नेचर अध्ययन में पाया गया कि हैदराबाद के 84% आईटी कर्मचारी **मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज** (**MAFLD**) से पीड़ित हैं, और 71% मोटापे से ग्रस्त हैं - जो एक मूक मेटाबोलिक महामारी का संकेत है।
    - चेन्नई में 65% से अधिक मौतें गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं, तथा विशेष रूप से युवाओं में उच्च रक्तचाप और मधुमेह पर नियंत्रण की दर खराब है।
- **कुपोषण का दोहरा बोझ:** जबकि कुपोषण ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं **शहरों में अतिपोषण बढ़ रहा है।**
    - एनएफएचएस-5 से पता चलता है कि मोटापे की व्यापकता उम्र और धन के साथ बढ़ती है - पुरुषों (15-49 वर्ष) में यह 7% से 32% तक और सबसे गरीब वर्ग में 10% से सबसे अमीर वर्ग में 37% तक हो जाती है।
- **जीवनशैली जोखिम कारक:** शहरीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के कारण:
    - बैठे-बैठे काम करने की दिनचर्या
    - अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन
    - दीर्घकालिक तनाव और नींद में व्यवधान
    - फलों/सब्जियों का कम सेवन (94.2%)
    - शारीरिक निष्क्रियता (24.4%)

शहरी स्वास्थ्य संकट का प्रभाव -

- भारत के सबसे अधिक आर्थिक रूप से सक्रिय आयु समूह (18-59 वर्ष) में उत्पादकता हानि।
- प्रारंभिक अवस्था में मधुमेह, हृदय संबंधी रोग, यकृत विकार आदि के कारण स्वास्थ्य देखभाल का बोझ और आर्थिक लागत बढ़ जाती है।
- बढ़ती स्वास्थ्य असमानता - गैर-संचारी रोग अब सभी आय समूहों और दोनों लिंगों को प्रभावित करते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के विफल होने का खतरा है, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में।

सऊदी अरब मॉडल – एक सर्वोत्तम अभ्यास

- सऊदी अरब का विज़न 2030 एनसीडी की रोकथाम को एकीकृत करता है:
    - भोजनालयों में कैलोरी लेबलिंग अनिवार्य।
    - चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर 50% उत्पाद शुल्क; ऊर्जा पेय पर 100% उत्पाद शुल्क।
    - प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में सोडियम की सीमाएँ; ट्रांस वसा समाप्त।
    - व्यापक बहुक्षेत्रीय समन्वय - सरकार, उद्योग, स्वास्थ्य और सामुदायिक कर्ता एकजुट।

समाधान और नीति अनुशंसाएँ -

- **बहुक्षेत्रीय स्वास्थ्य हस्तक्षेप:** तमिलनाडु के मक्कलाई थेडी मारुथुवम (एमटीएम) ने कार्यस्थल एनसीडी देखभाल के माध्यम से ~3.8 लाख कर्मचारियों की जांच की है।
    - "**ईट राइट चैलेंज**" और स्वास्थ्य सैर जैसी गतिविधियाँ जन जागरूकता को बढ़ावा देती हैं।

- **खाद्य सुधार के लिए नियामक उपाय: "ईट राइट इंडिया"** आंदोलन का विस्तार (FSSAI):
    - पोषण लेबलिंग (जैसे स्वास्थ्य स्टार रेटिंग)
    - उच्च वसा/चीनी/नमक (HFSS) उत्पादों पर चेतावनियाँ
    - चीनी-मीठे और पोषक तत्वों से रहित खाद्य पदार्थों पर **"पाप कर(sin taxes)"** लगाना।
    - रेस्तरां के मेनू और पैकेजिंग पर कैलोरी की गणना के लिए दबाव डालना।
- **निर्मित पर्यावरण एवं शहरी नियोजन:** सक्रिय आवागमन को बढ़ावा देना (जैसे साइकिल ट्रैक, पैदल चलने के लिए स्थान)।
    - कार्यस्थलों, स्कूलों और तकनीकी पार्कों में स्वस्थ कैफेटेरिया मानकों को प्रोत्साहित करना।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और डेटा प्रणालियों को मजबूत करना:** यूएचआई (शहरी स्वास्थ्य पहल) के माध्यम से शहरी एनसीडी स्क्रीनिंग और ट्रैकिंग का विस्तार करना।
    - देखभाल की निरंतरता के माध्यम से ग्लाइसेमिक और रक्तचाप नियंत्रण दर में सुधार करना।

स्रोत: **The Hindu: India's new urban worry — rising overnutrition**

विस्तृत कवरेज

भारत-जर्मनी संबंध

संदर्भ

भारत और जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।

भारत जर्मनी साझेदारी का महत्व -

- **व्यापार और निवेश:** जर्मनी यूरोप में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 33.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
    - यह 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल 2000 - दिसंबर 2023) के संचयी निवेश के साथ भारत के लिए 9वां सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है।
    - 2024 में जर्मनी ने "भारत पर ध्यान" शीर्षक से एक रणनीतिक नीति दस्तावेज अपनाया आर्थिक संबंधों को गहरा करना।
- **जलवायु और स्थिरता: हरित और सतत विकास साझेदारी (2022)** के तहत, जर्मनी ने सौर ऊर्जा और कृषि-पारिस्थितिकी जैसी परियोजनाओं के लिए €10 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है।
    - जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी भारत-नेतृत्व वाली पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** इंडो -जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (आईजीएसटीसी) 49 प्राथमिकता परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है, जिसमें WISER (विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाएं) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** 2006 के रक्षा सहयोग समझौते के परिणामस्वरूप आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा और रक्षा पर संयुक्त कार्य समूह जैसे तंत्र अस्तित्व में आए।
    - जर्मनी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के **प्रोजेक्ट-75I** में शामिल होने का इच्छुक है।
    - मिलन, पासेक्स और तरंग शक्ति-1 जैसे संयुक्त अभ्यासों का आयोजन बढ़ते रणनीतिक संरेखण को दर्शाता है।
- **रणनीतिक व्यापार विविधीकरण:** भारत जर्मनी को "चीन+1" विकल्प प्रदान करता है, विशेष रूप से बढ़ते यूरोपीय संघ-चीन तनाव के बीच।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ -

- **बाज़ार पहुंच और नियामक बाधाएं:** भारतीय निर्यात को यूरोप में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
    - विनियामक जटिलताओं और कराधान संबंधी मुद्दों के कारण जर्मन निवेशक हतोत्साहित हैं, जिससे चीन की तुलना में यहां निवेश कम है।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** वैश्विक मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं; रूस-यूक्रेन पर भारत की तटस्थता जर्मनी के दृढ़ रूस-विरोधी रुख के विपरीत है।

  - जर्मनी की आर्थिक निर्भरता उसे हिंद-प्रशांत सुरक्षा चिंताओं पर भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ने से रोकती है।
- **मानवाधिकार संवेदनशीलता:** भारत के आंतरिक मामलों - जैसे कश्मीर और प्रेस की स्वतंत्रता - की जर्मनी द्वारा की जाने वाली आलोचना से कभी-कभी राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है।

आगे की राह -

- **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना:** जर्मनी के साथ चीन के 300 बिलियन यूरो के व्यापार की बराबरी करने तथा बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए शीघ्र एफटीए निष्कर्ष आवश्यक है।
- **हिंद-प्रशांत सहयोग को मजबूत करना:** नौसैनिक तैनाती, संयुक्त अभ्यास और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी की भूमिका को गहरा करना।
- **स्वच्छ तकनीक सहयोग को बढ़ावा देना:** हरित और सतत विकास साझेदारी के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी , ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को संयुक्त रूप से बढ़ावा देना।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाना: 'मेक इन इंडिया'** के साथ संरेखित करते हुए सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव घटकों और फार्मास्यूटिकल्स में लचीली मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करें और चीन पर निर्भरता कम करना।

स्रोत:

- **The Hindu: Silver Jubilee of a strategic partnership**
- **Indian Express: Delhi Berlin Connection**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)

संदर्भ

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट "मध्यम उद्यमों के लिए नीति का डिजाइन" में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (**MSME**) क्षेत्र में महत्वपूर्ण संरचनात्मक असंतुलन पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में MSME क्या हैं?

MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित व्यवसाय हैं।

एमएसएमई का नया वर्गीकरण

प्रकार	निवेश		कारोबार	
	मौजूदा	संशोधित	मौजूदा	संशोधित
सूक्ष्म उद्यम	1 करोड़ रु	2.5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रु	10 करोड़ रु
लघु उद्यम	10 करोड़ रु	25 करोड़ रु	50 करोड़ रु	100 करोड़ रुपये
मध्यम उद्यम	50 करोड़ रु	125 करोड़ रुपये	250 करोड़ रुपये	500 करोड़ रुपये

स्रोत: बजट 2025-2026, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण, 1 फरवरी, 2025।

भारत में MSME का योगदान -

योगदान का क्षेत्र	स्थिति
जीडीपी योगदान	भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 29%
निर्यात योगदान	भारत के कुल निर्यात का लगभग 40%
रोज़गार	यह गैर-कृषि कार्यबल के 60% से अधिक को रोजगार देता है।
औद्योगिक उत्पादन	विनिर्माण उत्पादन में लगभग 33% का योगदान देता है।

भारत के MSME क्षेत्र में प्रमुख संरचनात्मक विषमताएं -

- **असंगत निर्यात योगदान:** मध्यम उद्यम कुल MSME इकाइयों का केवल 0.3% हिस्सा हैं।
    - इस क्षेत्र के निर्यात में लगभग 40% का योगदान करते हैं।
    - इससे मध्यम आकार की फर्मों के एक न्यूनतम वर्ग के बीच निर्यात गतिविधि का महत्वपूर्ण संकेन्द्रण इंगित होता है।
- **ऋण पहुंच असमानताएं:** 2020 और 2024 के बीच सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण तक पहुंच 14% से बढ़कर 20% हो गई, जबकि मध्यम उद्यमों में 4% से 9% तक की वृद्धि देखी गई।
    - इन सुधारों के बावजूद, पर्याप्त ऋण अंतराल बना हुआ है, वित्त वर्ष 2021 तक **MSME** ऋण मांग का केवल 19% ही औपचारिक रूप से पूरा किया जा सका है, जिससे अनुमानतः 80 लाख करोड़ रुपए की ऋण मांग पूरी नहीं हो पाई है।

  - इससे छोटे उद्यमों के सामने आवश्यक वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश पड़ता है।
- **कौशल और प्रौद्योगिकी अंतराल: MSME** कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है।
  - कौशल की यह कमी उत्पादकता में बाधा डालती है और **MSME** की प्रभावी ढंग से विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने की क्षमता को सीमित करती है।
- **विनियामक और अनुपालन चुनौतियाँ: MSME** को अक्सर बोझिल विनियामक प्रक्रियाओं, लगातार नीतिगत परिवर्तनों और उच्च अनुपालन लागतों से जूझना पड़ता है।
  - ये चुनौतियाँ व्यवसाय करने की सुगमता को सीमित करती हैं तथा क्षेत्र में विकास और औपचारिकता को बाधित कर सकती हैं।
- **विलंबित भुगतान और नकदी प्रवाह संबंधी समस्याएं:** बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों से विलंबित भुगतान **MSME** के लिए नकदी प्रवाह संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं।
  - 2022 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में **MSME** को विलंबित भुगतान लगभग ₹10.7 लाख करोड़ या देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का 6% है ।

MSME से संबंधित सरकारी पहल -

- **उद्यम पंजीकरण: MSME** पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस: MSME** के लिए बाजार पहुंच को बेहतर बनाता है
- **MSME समाधान:** भुगतान के लिए विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करता है
- **ऋण गारंटी योजना: MSME** के लिए ऋण जोखिम कम करती है
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** छोटे उद्यमों को ऋण प्रदान करती है
- **MSME व्यापार सक्षमता और विपणन:** व्यापार के लिए डिजिटल नेटवर्क को बढ़ावा देता है

आगे की राह -

- **अनुकूलित वित्तीय समाधान:** उद्यम टर्नओवर के आधार पर कार्यशील पूंजी वित्त योजना शुरू करना।
  - बाजार ब्याज दरों पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ₹5 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करना।
  - **MSME** मंत्रालय की देखरेख में खुदरा बैंकों के माध्यम से धन का तेजी से वितरण सुनिश्चित करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण और उद्योग 4.0:** मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों को भारत एसएमई 4.0 सक्षमता केंद्रों में उन्नत करना।
  - ये क्षेत्र-विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से तैयार किए जाएंगे, ताकि उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा हो।
- **अनुसंधान एवं विकास संवर्धन तंत्र: MSME** मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।
  - राष्ट्रीय महत्व की क्लस्टर-आधारित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत निधि का उपयोग करना।
- **क्लस्टर-आधारित परीक्षण अवसंरचना:** विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं विकसित करना।
  - विनियामक अनुपालन को आसान बनाना और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना।
- **कस्टम कौशल विकास:** क्षेत्र और क्षेत्र पर विचार करते हुए, उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को संरेखित करना।
  - मौजूदा उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के भीतर मध्यम उद्यम-केंद्रित मॉड्यूल शामिल करना।
- **केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल:** उद्यम प्लेटफॉर्म के भीतर एक उप-पोर्टल बनाना।
  - इसमें शामिल विशेषताएं हैं: योजना खोज उपकरण, अनुपालन सहायता, और संसाधनों के आसान नेविगेशन के लिए एआई-आधारित मार्गदर्शन।

स्रोत: **Economic Times: 'Structural skew' in MSME sector, 0.3% medium units make up 40% of MSME exports: Niti Aayog report**